राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र साण्डेराव

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 26/2013
दायरा तिथि 10.05.2013
निर्णय तिथि 06.06.2017

वादीनी–	बनाम:	प्रतिवादीगण–
पुष्पादेवी पुत्री मनरूपजी जाति पुरोहित निवासी साण्डेराव हाल नाणा तहसील बाली जिला पाली (राज.)		1–रमेशसिंह पुत्र नारायणसिंहजी 2–विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंहजी 3–श्रीमती तुलसीदेवी बेवा नारायणसिंहजी जातिगण पुरोहित निवासीगण साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 06.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र साण्डेराव में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव ने वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। राजस्व लोक अदालत केम्प की भावना के अनुरूप सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से हमने पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीनी द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा साण्डेराव चक–II तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 1365, 1366, 1367, 1821/2341, 1832/2345, 1833/2347, 1834/2349 कुल रकबा 5.20 हेक्टर किस्म बारानी–प्रथम के बारे में खातेदारी घोषणात्मक व चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री चाही गई है। वादीनी ने वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2044–47, जमाबंदी संवत् 2048–51, जमाबंदी संवत् 2052–55, जमाबंदी संवत् 2068–71, भूमि धारण खतौनी–रजिस्टर सवंत् 2037–56 व नामान्तरकरण सं.37/10.06.1989 इत्यादि की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(2) कि प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के तमाम कथनों व तथ्यों को नकारते हुए विशेष कथन में जाहिर किया है कि वादीनी स्वयं ने वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् बऐवज विक्रय प्रतिफल राशि रूपये 49,500/– प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के पूर्वज स्व.नारायणसिंह पुत्र मनजी उर्फ मनरूपजी से प्राप्त कर पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 01.03.1988 द्वारा विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से स्व.नारायणसिंहजी का उनके जीवनकाल में व उनकी मृत्यु बाद उनके उत्तराधिकारी व वारिसान प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 का आज तक शांति पूर्वक लगातार मौके पर बतौर खातेदार के कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उक्त आराजी विक्रय के बाद इस पर वादीनी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा स्व. नारायणसिंहजी की मृत्यु बाद उपरोक्त आराजी प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के नाम

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज चली आ रही है, जिससे वादीनी कानूनन प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र संस्थित करने के लिए विबंधित है। अतः वादीनी का यह वादपत्र कानूनन चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाकर वादीनी से प्रतिवादीगण को बतौर हर्जाना के रूपये 25,000/– दिलवाये जाने की आज्ञाप्ति प्रदान करावे। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2044–47, नामान्तरकरण सं. 37/10.06.1989 व नक्शा किश्तवार इत्यादि की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(3) कि प्रश्नगत् मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट अनुसार उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 1365, 1366, 1367, 1821/2341, 1832/2345, 1833/2347, 1834/2349 कुल रकबा 5.20 हेक्टर पूर्व में मनरूप पुत्र हेमाजी कौम पुरोहित के नाम खातेदारी दर्ज थी, उनकी मृत्यु बाद उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादीनी पुष्पा पुत्री मनरूपजी कौम पुरोहित के नाम नामान्तरकरण सं.11 के जरिए वर्ष 1987 में दर्ज हुई। तत्पश्चात् वादीनी द्वारा दिनांक 01.03.1988 को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि नारायणसिंह पुत्र मनाजी कौम पुरोहित निवासी साण्डेराव को बैचान की गई और नामान्तरकरण सं. 37/10.06.1989 द्वारा नारायणसिंह के नाम दर्ज हुई एवं नारायणसिंहजी की मृत्यु बाद उनके वारिस प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के नाम दर्ज चली आ रही है। इसके अलावा भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव ने तथाकथित जांच रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया है कि वादीनी द्वारा दिनांक 01.03.1988 के बैचान को फर्जी बताकर यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया है।

चूंकि, कथित मामले में उल्लेखित तथ्यों पर विश्लेषण करने के पश्चात् हमारी विवेचनाए यह है कि भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव की तथाकथित जांच रिपोर्ट के आधारित प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के जवाबदावा व विशेष में अभिव्यक्त कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है। वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत यदि विक्रय विलेख दिनांक 01.03.1988 फर्जी है तो वादीनी को चाहिए कि इसके लिए विधि अनुसार कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए थी, न कि प्रश्नगत् दस्तावेज को फर्जी दर्शाकर इस वादपत्र द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणात्मक व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करे। इसलिए हमारे विधिक विचारों में वादीनी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र संस्थित करने के लिए विबंधित है और वादीनी का यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणामतः सरहद मौजा साण्डेराव चक–II तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 1365, 1366, 1367, 1821/2341, 1832/2345, 1833/2347, 1834/2349 कुल रकबा 5.20 हेक्टर किस्म बारानी–प्रथम के बारे में वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणात्मक व चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति हेतु प्रथमतः संस्थित करने के लिए विबंधित, चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र साण्डेराव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner